वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 05.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर"अमर उजाला, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 05.12.2025

नियमों को पूरा करने वाले अवैध निर्माण ही होंगे वैध

वाराणसी। अवैध निर्माण को वैध करने के लिए नियमों का पालन निर्माणकर्ताओं को करना पड़ेगा। वीडीए की ओर से अवसर तो दिया गया है, लेकिन पूरे नियमों का पालन करने पर ही फायदा मिलेगा। शहर में ज्यादातर निर्माण नियमों के दायरे में नहीं हैं। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के अनुसार नियमों का पालन करने वालों को मौका दिया जा रहा है। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 05.12.2025

कैंप में 101 मामलों की सुनवाई

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर बृहस्पतिवार को वीडीए परिसर में नोटिस सुनवाई और मानचित्र निस्तारण कैंप का आयोजन हुआ। इसमें कुल 101 मामले की सुनवाई की गई। 14 प्रकरणों का निस्तारण हुआ और 21 प्रकरणों को अस्वीकृत कर दिया गया। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्र ने कहा कि सभी अनुभाग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्राप्त मानचित्रों व प्रार्थनापत्रों का समयबद्ध निस्तारण करें। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 05.12.2025

निरीक्षण के बाद होटल, लॉन का होगा पंजीकरण

वाराणसी। निरीक्षण के बाद होटल, लॉन और गेस्ट हाउस का पंजीकरण किया जाएगा। वीडीए के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने निर्देश दिया है कि अनापत्ति के लिए आने वाले आवेदनों पर विचार करने से पहले निरीक्षण कर लें। हर जोन के आवेदन पत्रों का एक अलग रजिस्टर बनाए। एक महीने में लंबित प्रकरणों के प्रश्नगत भवन की वैधता के संबंध में पत्र प्रेषित कर निरीक्षण करें। इसकी आख्या रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी (प्रोटोकाल) को भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में सभी पहलुओं का जिक्र करना है। खासकर पार्किंग सुविधा और अन्य सभी बिंदुओं का उल्लेख करें। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 05.12.2025

विकास प्राधिकरण बसाएगा नई कालोनी, खरीदेगा जमीन

वीडीए सीमा में शामिल 215 गांवों में जमीन लेने पर जोर

जेपी पांडेय • जागरण

वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण अवैध कालोनियों पर रोक लगाने और उन पर शिकंजा कसने के साथ नई कालोनी बसाने का मसौदा तैयार कर रहा है। प्राधिकरण काश्तकारों की जमीन अधिग्रहण करने की बजाय उनसे खरीदेगा, जमीन खरीदने के लिए वीडीए बिल्डरों व जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेगा। यदि कोई काश्तकार खुद अपनी जमीन देना चाहता है तो वे वीडीए कार्यालय में संपर्क कर सकता है। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा का मानना है कि अवैध कालोनियों को रोकने के साथ वैध कालोनियां होना जरूरी है। वीडीए सीमा में शामिल 215 नए गांवों में जमीन लेने पर वीडीए का ज्यादा जोर है।

हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपना एक घर हो। जरूरी नहीं कि एक और दो बिस्वा में। रहने के लिए 500 वर्ग फीट भी जमीन पर्याप्त है। अवैध कालोनी में मूलभूत सुविधा सड़क, सीवर, नाली, बिजली, पानी और पार्क नहीं होने से काफी परेशानी होती है।

मूलभूत सुविधाओं को लेकर क्षेत्रीय लोग विरोध-प्रदर्शन करते हैं जिससे माहौल खराब होता है। अवैध कालोनी होने के साथ उनके मकान भी अवैध होते हैं। बैंक से लोन भी नहीं मिल पाता है। संबंधित विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उत्पीड़न की बात आती है।

100 एकड़ जमीन की जरूरत: वीडीए को नई कालोनी बसाने के लिए 100 एकड़ जमीन की जरूरत है, इतनी जमीन नहीं मिलने पर 50 एकड़ जमीन में भी कालोनी बसाने पर विचार किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जमीन हाईवे और रिंग रोड पर हो। इससे 500 मीटर अंदर भी कालोनी बसाई जा सकती है। बशर्ते सड़क पर्याप्त हो।

- सड़क, सीवर, नाली, बिजली, पानी और पार्क नहीं होने से होती है परेशानी
- जमीन खरीदने के लिए बिल्डरों और जनप्रतिनिधियों का लेगा सहयोग
- काश्तकार जमीन देने के लिए कार्यालय में खुद कर सकते हैं संपर्क

वीडीए ने दो दशक से नहीं बनाई कोई कालोनी

वीडीए जमीन के अभाव में पिछले दो दशक से कोई नई कालोनी आबाद नहीं कर पाया है। वीडीए के पास लैंड बैंक नहीं होने और जिला प्रशासन से जमीन नहीं मिलना सबसे बड़ी चुनौती रहा है। जमीन अधिग्रहण करने को लेकर दो-तीन बार पूर्व के अधिकारियों ने प्रयास किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उच्च अधिकारियों के दबाव में फाइल आगे नहीं बढ़ सकी लेकिन वीडीए उपाध्यक्ष ने बिल्डरों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नई कालोनी बसाने का मसौदा तैयार कर लिया है।

ले-आउट पास नहीं कराने पर वसूला जाएगा विकास शुल्क

वीडीए उपाध्यक्ष ने अवैध कालोनियों को वैध करने को लेकर पिछले दिनों कालोनाइजरों संग अपने कार्यालय में बैठक की। उनसे अपने कालोनी का ले-आउट पास कराने को कहा। ले-आउट पास नहीं कराने पर उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कालोनी में विकास कार्य कराने में आने वाले शुल्क को वसूला जाएगा। जोनल अधिकारी ने जोनवार सूची उपलब्ध करा दी है।

हर व्यक्ति का सपना होता है कि अपना एक मकान हो। जमीन खरीदने और मकान बनवाने में अपने जीवन की पूरी कमाई लगा देते हैं। बाद में मालूम चलता है कि अवैध कालोनी है। मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने से पहले वीडीए कार्यालय में संपर्क कर यह मालूम कर लें कि वीडीए से ले-आउट पास है या नहीं।

-पूर्ण बोरा, उपाध्यक्ष, वीडीए

दैनिक जागरण–दि0 05.12.2025

विकास प्राधिकरण के कैंप में नौ मानचित्र स्वीकृत

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वीडीए के सभागार में गुरुवार को नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैंप में 101 प्रार्थना पत्र आए। इसमें 72 भवन स्वामी पहुंचे। कुल 21 प्रार्थना पत्रों की स्क्रूटनी की गई और नियोजन अनुभाग से 14 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। इसमें नौ भवनों का नक्शा पास किया गया। कैंप की अध्यक्षता कर रहे वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा ने जोनल अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर नक्शा पास करने को कहा। छोटी-छोटी कमियों को लेकर आवेदन निरस्त नहीं करने की हिदायत दी। यदि कोई कमी है तो भवन स्वामी और आर्किटेक्ट को बुलाकर दूर कराने को कहा। सौरभ जोशी, संजीव, प्रकाश, शिवाजी मिश्रा और सौरभ देव प्रजापति आदि मौजूद थे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 05.12.2025

नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का सफल आयोजन

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कैम्प का उद्देश्य भवन स्वामियों से प्राप्त मानचित्र, नोटिस तथा शमन से संबंधित प्रकरणों का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना था।सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अनुभाग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त मानचित्रों एवं प्रार्थना–पत्रों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन मानचित्रों को तकनीकी कारणों अथवा नियमों के अनुपालन न होने के कारण अस्वीकृत किया गया है, उन पर संबंधित प्रवर्तन टीम द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कैम्प के दौरान विभिन्न अनुभागों द्वारा की गई प्रमुख कार्यवाहियाँ कैम्प में कुल 101 प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत

हुए।नियोजन अनुभाग द्वारा 14 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।21 प्रकरणों को अस्वीकृत / स्क्रूटनी हेतु सम्मनित किया गया।मानचित्र एवं नोटिस से संबंधित सुनवाई में कुल 72 भवन स्वामी उपस्थित हुए।व्यापक जनसुनवाई अभियान में नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, पाँचों जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, लिपिकगण, तथा नियोजन, आवास्ति, सीलिंग एवं विधि अनुभाग के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे और सभी ने अपने-अपने स्तर से कार्यवाही को सुचारू रूप देकर कैम्प को सफल बनाया।प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मानचित्रों एवं नोटिसों के निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ एवं त्वरित बनाया जाए। इसी क्रम में निर्णय लिया गया है कि *हर बृहस्पतिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में नियमित रूप से नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का आयोजन किया जाएगा,* जिससे भवन स्वामियों को एक ही स्थान पर पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध समाधान उपलब्ध हो सके तथा शहर के सुव्यवस्थित शहरी विकास को प्रोत्साहन मिल सके।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 05.12.2025

ट्रांसपोर्ट नगर योजना की वीडीए उपाध्यक्ष ने की समीक्षा

बैठक

आईआईटी सिविल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों संग की चर्चा, दिया निर्देश

वाराणसी। ट्रांसपोर्ट नगर योजना को लेकर वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने जहां समीक्षा की,वहीं बीएचयू के आईआईटी सिवील इंजीनियरिंग विभाग के छात्रो संग बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति जाना और कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की । इस दौरान अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि एसटीपी से सम्बद्ध तीन ओवरहेड टैंक निर्मित किए जाने हैं। जिनमें से दो टैंकों का निर्माण-कार्य प्रगति पर है ,वही तीसरे टैंक के निर्माण संबंधी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विशेषज्ञों द्वारा सुझाव दिया गया कि इन टैंकों में (जिंक एल्युमिनियम कोटिंग) का उपयोग अधिक उपयुक्त रहेगा, जिससे ट्रीटेड वाटर की गुणवत्ता बेहतर होगी,वही कंटैमिनेशन में कमी आएगी और संरचना का निर्माण अधिक सुगमता तथा टिकाऊपन के साथ हो सकेगा। इस अवसर पर अनेक विषयों पर भी विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया। जिसमें सीवेज लाइन और स्टॉर्म वाटर लाइन, ग्राउंडवॉटर रिचार्जिंग सिस्टम और फ्रेश वाटर तथा ट्रीटेड वाटर के प्रबंधन प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई तो फायर फाइटिंग सिस्टम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित तकनीकी बिंदुओं पर सुझाव दिया गया। इस दौरान वीडीए उपाध्यक्ष ने सभी अधिकारियों से कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानेका निर्देश दिया , ताकि ट्रांसपोर्ट नगर में आधारभूत सुविधाओं का विकास सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

तरूणमित्र न्यूज–दि0 05.12.2025

वीडीए सचिव की अध्यक्षता में नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प आयोजित

वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैंप की अध्यक्षता करते हुए

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को नोटिस सुनवाई एवं मानचित्र निस्तारण कैम्प का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य भवन स्वामियों से प्राप्त मानचित्र, नोटिस तथा शमन से संबंधित प्रकरणों का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करना था।

सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अनुभाग ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त मानचित्रों एवं प्रार्थना-पत्रों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिन मानचित्रों को तकनीकी कारणों अथवा नियमों के अनुपालन न होने के कारण अस्वीकृत किया गया है, उन पर संबंधित प्रवर्तन टीम द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कैम्प में कुल 101 प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुए।

नियोजन अनुभाग द्वारा 14 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।21 प्रकरणों को अस्वीकृत / स्क्रूटनी हेतु सम्मनित किया गया। मानचित्र एवं नोटिस से संबंधित सुनवाई में कुल 72 भवन स्वामी उपस्थित हुए। जनसुनवाई अभियान में नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, पाँचों जोनों के जोनल अधिकारी, अवर अभियंता, लिपिकगण, तथा नियोजन, आवाप्ति, सीलिंग एवं विधि अनुभाग के समस्त कार्मिक उपस्थित रहे और सभी ने अपने-अपने स्तर से कार्यवाही को सुचारू रूप देकर कैम्प को सफल बनाया।